न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 146/2017

प्रार्थी :	बनाम	अप्रार्थीगण :
जीवाराम पुत्र श्री किस्तूरराम जाति विश्नोई नि. रामड़ावास कला तहसील पीपाड़ शहर जि. जोधपुर		1. पूनाराम पुत्र जैसाराम (फौत) के कायम मुकाम 1/1 भागीरथ पुत्र पूनाराम 1/2 हजमानराम पुत्र पूनाराम 1/3 श्रीमती जस्सी पत्नि पूनाराम जातियान विश्नोई नि. रामड़ावासकलां तहसील पीपाड़ शहर जि. जोधपुर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :

श्री ओमप्रकाश कच्छावाह प्रार्थी की ओर से
श्री बाबुलाल विश्नाई अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक : 21.06.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:— प्रार्थी ग्राम रामड़ावास कलां का स्थायी मूल निवासी है एवं काश्तकार्य एवं मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता आया है । ग्राम रामड़ावास कलां तहसील पीपाड़ शहर में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 134 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा आई हुई है, जमाबन्दी की नकल संलग्न पेश है ।

प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 134 पर आने जाने हेतु ग्राम रामड़ावासकलां से हिमाणियां जाने वाले कट्टाणी रास्ते की दक्षिण में स्थित खसरा नम्बर 153 की पश्चिमी मॉठ के अन्दर खसरा नम्बर 153 में से कदीमी रास्ता चलता आया है । जिसको संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है । लाल स्याही से दर्शाये रास्ते की चौड़ाई 15 फुट से अधिक है, जिसको आगे वादग्रस्त रास्ता से सम्बोधित किया जायेगा ।

वादग्रस्त रास्ता पीढ़ियो से चलता आया है । दिनांक 15/01/1980 को प्रार्थी ने वादग्रस्त रास्ता वाली भूमि रास्ता हेतु बैचाननामा के जरिये खरीद की हुई है बैचाननामा के जरिये खरीद की हुई है बैचाननामा की फोटो प्रति संलग्न है । लेकिन रास्ता नक्शे में तरमीम नही है । प्रार्थी को अन्देशा है कि वादग्रस्त रास्ता अप्रार्थीगण लोगो के सिखावे में आकर बन्द कर सकते है । इसलिए राजस्व रेकर्ड में रास्ता घोषित किया जावें एवं नक्शे में तरमीम किया जावें । प्रार्थी नियमानुसार राशि भी अदा करने को तैयार है ।

प्रार्थी के खेत में आने जाने का एक मात्र रास्ता वादग्रस्त रास्ता ही है अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता अस्तित्व में नही है वादग्रस्त रास्ता पीढ़ियो से कदीमी रास्ता

विद्यमान रहा है जिससे होकर प्रार्थी अपने खेतो में ट्रेक्टर ट्रोली व मवेशी लाता ले जाता रहा है एवं काश्तकार्य करता आया है इसलिए वादग्रस्त रास्ता बाबत् प्रार्थी को सुखाधिकार प्राप्त है ।

प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विनय निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 134 में आने जाने हेतु पीढ़ियो से कदीमी रास्ता जो संलग्न नक्शे में लाल स्याही के मध्य दर्शाया गया है जिसकी चौड़ाई 15 फुट से अधिक है, वादग्रस्त रास्ता राजस्व रेकर्ड घोषित किया जावे एवं नक्शे में तरमीम किया जावे ।

सहायक कलक्टर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जिसमें अप्रार्थीगण के समन बाद तामिल प्राप्त हुए । वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब दावा पेश किया जो इस प्रकार से है :–

प्रार्थना पत्र का पद संख्या 1 जिस रूप में वर्णित किया गया है अस्वीकार है एवं जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थी रामड़ावास का मूल निवासी नही है । प्रार्थी के खातेदारी की भूमि अवश्य रामड़ावास में आई हुई है ।

प्रार्थना पत्र का पद संख्या 2 गलत होने से अस्वीकार है एवं जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 134 में आने जाने हेतु 15 फुट का रास्ता खसरा नम्बर 153 में उपलब्ध हों । वास्तविकता यह है कि प्रार्थी के दादा निम्बाराम के दो पुत्र किस्तुरराम व हरजीराम थे जिन्होने निम्बाराम से प्राप्त हुई भूमि का बंटवाड़ा आपसी सहमति से किया था जिसके अनुसार खसरा नम्बर 134 किस्तुरराम के बंट में रखा गया एवं खसरा नम्बर 145, 146 हरजीराम के बंट में रखे एवं खसरा नम्बर 148 प्रार्थी के भाई पोकरराम के बंट में रखा। उक्त खसरा नम्बर 148 मुख्य डामर सड़क पर आया हुआ है जिसमें से होकर हरजीराम के वारिसान के बंट में आया हुआ खेत खसरा नम्बर 146व उनके रहवासीय ढाणिये खसरा नम्बर 145 में रास्ता चलता है उसी रास्ते से आगे खसरा नम्बर 134 जुड़ा हुआ है जहां से रास्ता भू–प्रबन्ध से पूर्व से ही चल रहा था जो आज भी चलायमान है। प्रार्थी ने पूर्व मे भी प्रार्थना पत्र बाबत् रास्ते के प्रस्तुत किया था जो खारिज हो चुका है इसलिए बार–बार प्रार्थना पत्र उन्ही आधारो पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि एक बार निर्णित सर्वत्र निर्णित माना जायेगा । प्रार्थी ने उक्त आदेश के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही की है ।

प्रार्थना पत्र का पद संख्या 3 गलत होने से अस्वीकार है एवं जवाब इस प्रकार है कि अप्रार्थी उत्तरदाता ने कोई भी भूमि रास्ते हेतु बेचान नही की, फिर भी यह मान लिया जावे के ऐसा बेचाननामा है तो प्रार्थी कतई रास्ता प्राप्त करने का हकदार नही है । प्रार्थी विधिक प्रकिया अपनाते हुए उस भूमि का बंटवाड़ा करावावे । एक सहखातेदार को रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र केवल शक के आधार पर प्रस्तुत किया गया है इसलिए कोई वाद हेतुक प्राप्त नही है ।

प्रार्थना पत्र का पद संख्या 4 गलत होने से अस्वीकार है एवं जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 134 में आने के लिए रास्ता डामर सड़क से होकर अपने भाई पोकरराम की खातेदारी में वर्तमान में दर्ज खसरा नम्बर 148 जो पूर्व में प्रार्थी व पोकरराम के संयुक्त खातेदारी का था, में से होकर अपने चाचा हरजीराम के वारिसान के खातेदारी में वर्तमान में दर्ज खसरा नम्बर 145 व 146 जो पूर्व में प्रार्थी के दादा निम्बाराम के थे, में से होकर भू–प्रबन्ध से पूर्व से ही रास्ता चल रहा था जो वर्तमान में भी चलायमान है इसलिए प्रार्थी का यह कहना अपने आप में गलत प्रमाणित हो जाता है कि प्रार्थी के खेत में आने जाने का कोई रास्ता उपलब्ध नही है । प्रार्थी के विरोधाभाशी कथनो से यह प्रकट होता है कि प्रार्थी, अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि को हडपना चाहता हैं । अगर वास्तव में प्रार्थी के पास खसरा नम्बर 153 के बाबत् कोई बेचाननामा है तो उसके अनुसार अपना हक प्राप्त करने की कार्यवाही करें । लेकिन धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कि अनुसार बेचाननामे की पालना नही करवाई जा सकती तथा न ही चले रास्ते के बाबत् कोई कार्यवाही की जा सकती है । यहां यह लिखना भी न्यायोचित होगा कि प्रार्थी के पूनाराम के सभी वारिस जो खसरा नम्बर 153 के हिस्सेदार है, को पक्षकार नही बनाया, इसलिए खातेदार के पीठ पीछे किसी प्रकार का आदेश पारित नही किया जा सकता । अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाया जावें ।

इसी प्रकार तहसीलदार पीपाड़ शहर से मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्राप्त हुई जो इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम रामड़ावासकलां के खसरा नम्बर 134 व 153 का

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

रूबरू पक्षकारान के मौका मुआयना किया गया कि खसरा नम्बर 134 प्रार्थी पक्ष जीयाराम का खातेदारी खेत व उक्त खसरा में प्रार्थी की पक्की ढ़ाणी (मकान) आबाद मकान तक आवागमन बाबत् वर्तमान समय खसरा नम्बर 153 की पश्चिमी मेड़ के सहारे–सहारे खसरा नम्बर 134 के उत्तर–पूर्वी कोने तक नीचे नजरी नक्शे में दर्शाये लाल स्याही से मार्क A to B तक (ग्राम रामड़ावास से ग्राम हिगाणियां को जाने वाली ग्रेवल सड़क से खसरा नम्बर 134 के उतरी पूर्वी कोने तक) करीब 20 फीट चौड़ा वर्तमान समय चालू रास्ता जो आवागमन बाबत् निर्बाध उपयोग में आ रहा है । रास्ता कदीमी है ।

प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता प्रार्थी ने अप्रार्थी के पूर्वज स्व. श्री पूनाराम पुत्र जेताराम विश्नोई से दिनांक 15.1.80(15.01.1980) को जरिये बैचान स्टाम्प 3/–रूपये पर खसरा नम्बर 153 मे से 0.16 सौलह बिस्वा भूमि बएवज रूपये 200/– दौ सो रूपये मात्र में रास्तें बाबत् खरीदना बताया । यह है कि उक्त बैचान नामान्तरकरण रजिस्टर्ड नही होने से नामान्तरकरण व तरमीम नही हो सका । बैचाननाम लिखावट के हस्ताक्षर छोगाराम पुत्र हरीराम विश्नाई तथा साख गायणा रामकरण के हस्ताक्षरित है ।

प्रार्थी के खेत व ढ़ाणी में आने जाने हेतु सबसे कम दूरी का एक मात्र यही रास्ता है ।

मार्क A से B तक 515 फीट लम्बा तथा 20 फीट चौड़ा रास्ता करीब 12 बारह बिस्वा रास्ता की भूमि बनती है । जो ग्राम रामड़ावास की बारानी भूमि DLC दर के हिसाब से 6600/– अक्षरे छः हजार छः सौ रूपये बनती है । प्रार्थी पक्ष अप्रार्थी पक्ष को अदा करने हेतु सहमत है ।

उक्त मूल पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के निर्णय दिनांक 31.03.2017 के आदेश के साथ पुनः इस न्यायालय को इस आदेश के साथ प्राप्त हुई कि अपील अपीलान्ट आंशिक तौर पर स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 09.09.2015 अपास्त किया जाता है । प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त बिन्दुओ के सम्बन्ध में समूचित विवेचना एवं विश्लेषण कर अपना तार्किक निष्कृष देने के साथ ही मामले की नवीन स्थितियो अर्थात हकतर्कनामा दिनांक 24 मार्च 2017 की सत्यापित प्रतिलिपि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जावे कि परिप्रेक्ष्य में मामले में न्यायोचित एवं विधि सम्मत आदेश पारित किया जावें । आदेश की पालना में प्रकरण में पुनः सुनवाई कर निर्णय इस प्रकार जारी किया गया ।

माफिक आदेश प्रार्थी जीयाराम ने हकतर्कनामा दिनांक 24.03.2017 की सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय हाजा में पेश की है । जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि बुधकी पुत्री पूनाराम, समुड़ी पुत्री पूनाराम, रूपली पुत्री पूनाराम, लुणा पुत्री पूनाराम, लीला पुत्री पूनाराम, को खेत खसरा नम्बर 153 में कोई हक हिस्सा निहीत नही है। इसलिये उक्त प्रकरण में बुधकी, समुड़ी, रूपली, लुणा, लीला आवश्यक पक्षकार नही है।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार नया मार्ग व विद्यमान मार्ग देने का प्रावधान है, जिसमें

अन्य खातेदारी की जोत में से होकर भूमिगत पाइप लाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना एंव

कोई अभिधारी या अभिधारियो का कोई समूह अपनी जोत, या यथा स्थिति, उनकी जोतो तक पहुचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना है ।

यह कि अप्रार्थी सं. 1/1, 1/2, 1/3 की तलबी जरियें सदन की गई । अप्रार्थी सं. 1/1 भागीरथ पुत्र पूनाराम दिनांक 10.07.2018 को हाजिर अदालत आया व लिखित में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि – यह है कि अप्रार्थी के खेत खसरान 153 के पश्चिमी सीमा में से वादग्रस्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में रास्ता घोषित किया जाता है तो मुझे कोई आपति नही है । प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 134 पर आने जाने हेतु वादग्रस्त रास्ता के अलावा अन्य कोई नजदीकी रास्ता नही है । वादग्रस्त ही सबसे नजदीकी रास्ता है । अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि खसरा नम्बर 153 में से पश्चिमी सीमा में से रास्ता घोषित किया जाता है तो मुझे कोई आपति नही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें ।

अप्रार्थी सं. 1/1 भागीरथ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से स्पष्ट हो गया है कि प्रार्थी के खेत में आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है । वादग्रस्त रास्ता ही सबसे नजदीकी रास्ता है जिसे रास्ता घोषित फरमावें । अप्रार्थी सं. 1/2 व 1/3 तीन ने न्यायालय मे बावजुद सूचना के कोई दस्तावेज या साक्ष्य अपने पक्ष में पेश नही किया है अपनी मौन स्वीकृति प्रदान की है ।

यह है कि उक्त प्रकरण न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार का है । धारा 251 'क' में स्पष्ट प्रावधान है कि नया मार्ग या विध्यमान मार्ग के सम्बन्ध में न्यायालय में धारा 251 'क' का प्रार्थना पत्र पेश किया जा सकता है । मौका कमिश्नर रिपोर्ट में भी वादग्रस्त रास्ता प्रार्थी के खेत व ढाणी में आने जाने हेतु सबसे कम दूरी का एकमात्र यही रास्ता है अंकित किया हुआ है । अप्रार्थीगण ने पूर्व में पारित निर्णय के बारे में भी कोई आपति नही की है ।

बहस वकुलाय सुनी गई । वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 134 में आने जाने हेतु पीढ़ियो से कदीमी रास्ता है, जो संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही के मध्य दर्शाया गया है । जिसकी चौड़ाई 15 फीट से अधिक है । वादग्रस्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में घोषित किया जावें एवं नक्शे में तरमीम किया जावे । इसी प्रकार वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी के खेत में आने जाने का कोई रास्ता उपलब्ध नही है । प्रार्थी, अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि को हड़पना चाहता है । प्रार्थी ने पूनाराम के सभी वारिस जो खसरा नम्बर 153 के हिस्सेदार हैं, को पक्षकार नही बनाया है इसलिए खातेदार के पीठ पीछे कोई आदेश पारित नही किया जा सकता है ।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है । मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार, लाल स्याही से दर्शाये अनुसार खसरा नम्बर 153 A से B 515 फीट लम्बा तथा 20 फीट चौड़ा रास्ता करीब 12 बिस्वा भूमि रास्ते के उपयोग हेतु घोषित की जाती है । मौका कमिश्नर रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय का अंग समझा जावें । तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त DLC दर अनुसार 12 बिस्वा भूमि की कीमत 6600/– रूपये बनती है । जिसका नियमानुसार दुगुना राशि 13200/– बनती हैं जो प्रार्थी जीयाराम अप्रार्थीगणो भागीरथ पुत्र पूनाराम, हड़मानराम पुत्र पूनाराम, श्रीमती जस्सी पत्नि पूनाराम जरीये चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट मार्फत तहसीलदार भुगतान करे । उक्त रास्ते की भूमि तरमीम कर तहसीलदार पीपाड़ शहर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे । इस आशय की तहरीर तहसीलदार पीपाड़ शहर के नाम जारी हो । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे ।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

(डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 21.06.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

(डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

Scanned by CamScanner